न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० कैंप रीवा, ﴾म०प्र०﴿

अपील 279-II/06

1. कालिका प्रसाद तनय श्री रामसजीवन उम्र- 47 साल, जाति- ब्राम्हण,

2. रामकली पत्नि श्री रामसजीवन उम्र- 90 साल, पेशा- कृषिकार्य, दोनों

निवासी- ग्राम- कलाबूथ, तहसील- नागौद, जिला- सतना ﴾ म०प्र० ﴿

------------अपीलार्थीगण

अपी०-गण

श्री रामाश्रय शुक्ला अभि० द्वारा आज दि० 15-2-06 को प्रस्तुत।

सचिव 15/2/06 राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

बनाम

1. रमेश कोरी, तनय श्री सौखीलाल उम्र- 30 वर्ष,

2. सुरेश कोरी, तनय श्री सौखीलाल उम्र- 28 वर्ष,

15 FEB 2006

3. उदय कोरी तनय श्री सौखीलाल उम्र- 26 वर्ष,

सभी निवासी- ग्राम- जसो, तहसील- नागौद, जिला- सतना ﴾म०प्र०﴿

------------रेस्पान्डेन्टगण

रेस्पा०गण,

रामाश्रय शुक्ला एडवो०

अपील विरूद्ध आदेश श्रीमान् न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा, सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक- 26/ पुनर्स्थापन/ 2000-2001, पारित आदेश दिनांक- 12/12/2000 अन्तर्गत धारा- 35﴾4﴿ म०प्र० भू० रा०सं०- 1959ई०

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न हैं :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टगण के पिता रामसजीवन द्वारा रेस्पा०गण की माँ के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें अपी० गण के पूर्वाधिकारी रामसजीवन 26/6/2000 से घर से ला-पता हैं, काफी

क्रमशः 2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-279-II/06 जिला सतना

कालिका प्रसाद रमेश कन्ये

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-01-16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रामायण शुक्ला उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में अधी० न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 12-12-2000 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधी० न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा उनके न्यायालय में प्रचलित प्रकरण आवेदक एवं उनके अधिवक्ता को सूचना उपरांत अनुपस्थिति के कारण दिनांक 6-11-2000 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया था, जिसे पुनर्स्थापित किए जाने हेतु संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन में यह आधार लेते हुए कि "आवेदक घरेलू काम से बाहर गया था तथा अधिवक्ता को पेशी पर उपस्थित होना चाहिए था किन्तु वे भी बाहर गये थे इस कारण अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए पेश किया गया। इस आधार पर प्रकरण को पुनर्स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को इस आधार पर	

[कृ. प. उ.

R-229/III/06 निरन्त

स्थान तथा दिनांक	कालिकाप्रसाद कार्यवाही तथा आदेश मेघा कचेर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कि " अधिवक्ता प्रकरण में पैरवी के लिए होते हैं न कि पेशी पर हाजिर होने के लिए। यह आवेदक की ही जिम्मेदारी थी कि वे अपने प्रकरण में नियत दिनांक एवं समय पर न्यायालय में उपस्थित होते। प्रकरण में पुनर्स्थापन का पर्याप्त आधार न पाते हुए पुनर्स्थापन आवेदन पत्र अमान्य किया गया। मेरे द्वारा प्रकरण के संलग्न अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों में ऐसा कोई प्रथम दृष्ट्या समुचित आधार नहीं पाता हूँ जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 12-12-2000 में हस्तक्षेप किया जा सके। परिणामस्वरूप विचाराधीन निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12-12-00 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। (हस्ताक्षर) 4-1-16 सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.